राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

Tele-01478-294141 E-Mail ID dcfptg123@gmail.com / dcf.pratpgh.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– एफ.( )उवसं / तकनीकी / 2020–21 / 269 दिनांकः– 13-01-2021

निमित,

सहायक अभियंता,
सा.नि.वि., उपखंड लसाड़िया

विषयः– वन भूमि में आने वाली "CONSTRUCTION OF ROAD WIDENING 7 STRENGTHENING OF LASADIYA TO DHARIYAWAD ROAD (ODR-20) KM 00 TO 30KM" के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन किये गये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/35989/2018 की हार्ड प्रति प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 392 दिनांक 21.12.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विषयांकित प्रत्यावर्तन प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में निम्न बिन्दुओं की आपके स्तर पर पूर्ति की जानी आवश्यक है।

1. प्रस्ताव के साथ आपके द्वारा ग्राम भोजपुर एवं भीमागांव तहसील धरियावद का मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है जिसे संलग्न किया जावे।
2. आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि प्रस्ताव के क्षेत्रफल 17.1315 है. नहीं है। आपके द्वारा केवल 11.473 है. भूमि जिला उदयपुर के अलग–अलग गांवों में उपलब्ध कराई गई है जो वानिकी दृष्टिकोण से वृक्षारोपण कराने हेतु उचित प्रतीत नहीं होती है ना ही जिला कलक्टर–उदयपुर द्वारा आरक्षित की गई है। केवल उपखंड अधिकारी–लसाड़िया के द्वारा प्रस्तावित की गई है। आप द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि को जी.टी. शीट एव के.एम.एल. फाईल से अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि वन भूमि है।
3. प्रस्ताव के साथ वनाधिकार अधिनियम के तहत जिला कलक्टर द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होता है जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि को उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस हेतु आपको सुझाव दिया जा रहा है कि जिला–प्रतापगढ़ में तहसील–प्रतापगढ़ पटवार मंडल–नारायणखेड़ा के राजस्व ग्राम–आमलीखोरा, खीजनखेड़ा एवं ढिकनिया में बिलानाम की गैर वन भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि को जिला कलक्टर–प्रतापगढ़ के द्वारा वन विभाग को प्रस्ताव के अनुसार 17.1315 है. गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करवाने के लिए आपके कार्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही करावें।
5. आपके द्वारा बिन्दु संख्या 1 के अनुसार मानचित्र उपलब्ध होने के उपरांत ही प्रत्यावर्तन प्रकरण में आ रही वन भूमि की गणना हो पाएगी।
6. बिन्दु संख्या 4 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव अनुसार आवश्यक गैर वन भूमि के आवंटन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 668–70 दिनांक 06.02.2019 से जिला कलक्टर प्रतापगढ़ एवं उदयपुर को अवगत कराया गया है।

अतः चाही गई सूचना अतिशीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि नियमानुसार कार्यवाही करके उच्च कार्यालय में प्रस्ताव को अग्रेषित किया जा सके।

(संग्राम सिंह कटियार)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ (राज.)

P.T.O.

Scanned by CamScanner

ांकः– एफ.( )उवसं/तकनीकी/2020–21/ दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि., खण्ड सलूम्बर, जिला उदयपुर (राज.)।
2. अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि., खण्ड धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ (राज.)

Scanned by CamScanner